



2026:AHC:32628

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3341 / 2026

रामनिवास

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संतोष कुमार राय, सुनील कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. नए वादों की सूची को संशोधित किया गया है, याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है जबकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 5/ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता उपस्थित हैं।
2. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4/नीलामी अधिकारी/नायब तहसीलदार, तहसील भानपुर, जनपद बस्ती द्वारा जारी नीलामी सूचना दिनांक 30.12.2025 को चुनौती दी है।
3. प्रतिवादी संख्या 5/ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त नीलामी सूचना में नीलामी की तिथि 08.01.2026 निर्धारित की गई थी।
4. अभिलेख के अवलोकन से, पूरे अभिलेख और रिट याचिका में किए गए कथनों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है कि नियत तिथि, अर्थात् 08.01.2026 को उक्त सूचना का क्या परिणाम रहा।
5. इस स्थिति को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि याचिका खारिज किए जाने योग्य है।
6. चूंकि संशोधित सूची में भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, अतः वर्तमान याचिका अनुपस्थिति के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

13 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"